ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका

सारांश

मानव एवं मानव समाज की उन्नति के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा ही हमारी वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति संभव हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि, संसार में मानव जो भी अनुभव प्राप्त करता है, शिक्षा है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा भिन्न–भिन्न रूपों में की है––

''मनुरो'' ने शिक्षा का कार्य ज्ञान की वृद्धि के साथ सामाजिक नियंत्रण, संस्कृति, सभ्यता का प्रचार–प्रसार और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना माना है। शिक्षा, ज्ञान–वृद्धि का ही साधन नही है बल्कि यह मनुष्य को सामाजिक प्राणि भी बनाती है। शिक्षा मानव समाज के संगठन की नींव है। जिससे मानव समाज का सर्वांगीण विकास संभव है।

मुख्य शब्द : सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक उन्नति, उपयोगिता, बहुमुखी विकास, अभिव्यक्ति, टिकाऊ ऊर्जा, सामंजस्य पूर्ण तरीके, शिक्षा में एकरूपता, सर्वशिक्षा अभियान, प्रोत्साहित, जनमत, जनसहयोग, शैक्षणिक अवसर, गतिशील प्रबंधकीय, शैक्षणिक पिछड़ापन, बेसिक शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, संस्कृति के विकास, सामाजिक कुशलता, सामाजिक प्रगति, ज्ञान–वृद्धि, सामाजिक प्राणि,

हीरालाल बैरवा
सहआचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान

प्रस्तावना

डुई के विचार :–''शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता को व्यक्त करते हुए लिखा है,'' भोजन की जो महत्ता और उपयोगिता शरीर के लिए है वही शिक्षा की सामाजिक जीवन के लिए।'' परन्तु शिक्षा मनुष्य को केवल सामाजिक जीवन के योग्य बनाने का साधन मात्र ही नही बल्कि वह उसके बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार :–'' शिक्षा मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।''

शिक्षा किसी भी राष्ट्र को सभ्यता की मुख्यधारा में जोड़ने के लिये मूल आवश्यकता है। शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र को अपने उत्थान हेतु टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार भी यही था कि शिक्षा किसी भी सभ्य राष्ट्र की प्राणवायु है, इसके अभाव में वह स्वतंत्र होकर भी परतंत्र है अर्थात् बिन आत्मा के शरीर। भारत बहुत लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और जब स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा की दृष्टि से स्वाभाविक रूप में काफी पिछड़ी हुई स्थिति में था। परंतु अब भारत सन् 2020 तक विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने के लिए तैयार है। इसने –देर आए दुरुस्त आए' की कहावत को चरितार्थ किया है। ऐसा इसलिये क्योंकि 1947 में भारत की साक्षरता अति न्यून थी परंतु आज 84.14 प्रतिशत भारतीय साक्षर हैं। सबसे प्रमुख तथ्य तो यह है कि 1976 में पहले शिक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ राज्यों की हुआ करती थी। सन् 1976 में किए गए 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह समवर्ती सूची का विषय बन गया अर्थात् अब राज्य और केंन्द्र दोनों मिलकर इस दिशा में अपने–अपने कदम उठाएंगे, परंतु सामंजस्य पूर्ण तरीके से। केन्द्र सरकार शिक्षा संबंधी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने तथा इनकी निगरानी करने में अपनी एक मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। इसमें सबसे उल्लेखनीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्ययोजना 1986 है जिसे 1992 में अपडेट किया गया। संशोधित नीति में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना है जिसके लक्ष्य हैं शिक्षा में एकरूपता लाना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा अभियान आदि को जनांदोलन का रूप दिया जाना और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना हैं। जो सन 1951 में महिला साक्षरत मात्र 8.86 थी,जो 2011 में बढकर 65.46 हो गई हैं ।

भारत की साक्षरता दर : 1951–2011

तालिका– 1

वर्ष	पुरुष साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	सकल साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता में दशाब्दि वृद्धि	साक्षरता दर में पुरुष–स्त्री अंतर
1951	27.16	8.86	18.33	–	8.30
1961	40.40	15.35	28.31	6.48	25.06
1971	45.96	21.97	34.45	6.63	23.98
1781	56.38	29.76	43.67	7.88	26.65
1991	64.13	39.29	52.21	9.44	24.84
2001	75.26	54.16	65.38	14.87	20.69
2011	82.14	65.46	74.04	11.30	16.68

तालिका नं. 1 से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है। यद्यपि यह पुरूष साक्षरता से बहुत कम है।

1. योजना अक्टूबर, 2006, पेज नं. 39
2. भारत की जनगणना 2011 एवं विश्व जनसंख्या, पेज नं. 05

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की प्रगति हेतु किए गए प्रयास

तालिका– 2

क्र. सं.	आयोग/समिति/योजना	उद्देश्य/सुझाव
1.	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)	महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ ही गृह प्रबंध की शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए।
2.	माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)	माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालय खोलने के साथ ही, गृह विज्ञान को शिक्षा की व्यवस्था हेतु सुझाव दिए।
3.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958–59)	महिलाओं के शिक्षा के प्रसार हेतु समिति का गठन।
4.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959–60)	इस समिति का उद्देश्य महिला शिक्षा के संबंध में जनमत तैयार करना था। सन् 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया।
5.	भक्त वत्सलम समिति (1963–65)	महिलाओं की शिक्षा के प्रति जनसहयोग मे कमी के कारण का पता लगाना।
6.	हंस मेहता समिति (1964–65) एवं कोठारी आयोग (1964–66)	बलिकाओं की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रथम)	बालक और बालिकाओं को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया।
8.	फुलरेनू गुहा समिति (1974)	सभी स्तरों पर सहशिक्षा विद्यालयों की स्थापना करना।
9.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (द्वितीय) 1986	महिलाओं में शिक्षा के विस्तार हेतु गतिशील प्रबंधकीय ढ़ांचे का निर्माण करना।
10.	जनार्दन रेड्डी समिति (1992)	महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाना।
11.	कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना (1997)	महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना।
12.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (2003)	अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना।
13.	कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना (2004)	बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिये आवासीय विद्यालयों की स्थापना।
14.	महिला समाख्या कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिकपहुंच और उपलब्धियों के विषय में कायम परंपरागत लैंगिक असमानता का निराकरण करना है।
15	शिक्षा का अधिकार कानून	सम्पूर्ण भारत को साक्षर करना ।

संदर्भ – योजना, 1, अक्टूबर 2006; पेज नं.–(39,से 61

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की प्रगति हेतु किए गए प्रयासो से वर्तमान समय में महिला शिक्षा में लगातार वृद्धि हो रही हैं और शिक्षा को समाज के विकास के लिए एक साधन के रूप मे माना जाने लगा है। अतःशिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा आदिवासी समाज भी अपने बच्चों का बहुमुखी विकास कर सकती है।साथ ही जनतन्त्र के आवश्यक गुणों का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है।शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गॉवों में शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा हैं साथ ही बेसिक शिक्षा अब सभी के लिए अनिवार्य कर दी हैं और सभी लोग बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है। समाज

में शिक्षा के द्वारा व्यस्कों का सुधार किया जा रहा हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा के साथ–साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की भी शिक्षा दी जाने लगी हैं। ग्रामवासियों को शिक्षित करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा हैं। साथ ही भारत के गावों की उन्नति ग्रामवासियों की शिक्षा पर ही निर्भर है। यदि सम्पूर्ण भारतीय समाज शिक्षित हो जाति है तो वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकने में सफल होगे। अत: आधुनिक युग में अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नही है। इसलिए जनतंत्र की सफलता शिक्षा पर ही निर्भर है।

शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता

शिक्षा की उपयोगिता के बारे में गाँधीजी ने जुलाई 1937 में हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था कि '' शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम या सर्वांगीण विकास करना है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा, उसको कुछ लाभदायक हस्तकला सिखाकर और उसको प्रशिक्षण के क्षण से ही उत्पादन करने में समर्थ बना कर करूँगा। इस प्रकार स्कूल आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि राज्य इन स्कूलों की चीजों को लें ले।'' अतः शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।साथ ही यह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक विरासत को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक समुह से दूसरे समूह तक पहुँचाया जा सकता है। सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों का ज्ञान भी हमें शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। वर्तमान समय में शिक्षित पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से सम्बन्ध, शिक्षा के द्वारा ही स्थापित कर सकती है। साथ ही संस्कृति के विकास एवं हस्तान्तरण के लिए शिक्षा एक अत्यन्त आवश्यक माध्यम है जो सामाजिक कुशलता में वृद्धि करती है। साथ ही उत्तम नागरिक बनाने के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है। सामाजिक जीवन में पग–पग पर शिक्षा की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Dr. N. Majumdar : Races in Culture of India, P. 356.*
2. *Gillin and Gillin, Cultural Sociology, P.282.*
3. *Dr. Rivers, quoted by D.N. Majumdar, Races and Cultures of India, Asia Publishing House, Bombay, 1958, p. 356.*
4. *R.N. Makherjee, People and Institutions of India, Saraswati Sadan. Mussorrie. 1969, p.43.*
5. *Charles Winik, Dictionary of Anthropology, p.545.*
6. *योजना, 1, अक्टूबर 2006; पेज नं.–(39,से 61)*
7. *भारत की जनगणना 2011 एवं विश्व जनसंख्या, पेज नं. 05*
8. *सुनील गोयल, भारत में सामाजिक परिवर्तन, दीपक परनामी आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स एस.एम.एस. हाइवें जयपुर 2003; पेज नं. 101*